कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फर्रूखाबाद।

पत्रांक–एस0एस0ए0 / के0जी0बी0वी0 / 624-30 / 2023–24, दिनांक– 06/06/2023

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 / 1553 / 68–5–2020 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर 2020 एवं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक– के0जी0बी0वी0 / 11308 / 2022–23 दिनांक 14.02.2023, पत्रांक–के0जी0बी0वी0 / 1121 / 2023–24, दिनांक 25.04.2023, एवं पत्रांक–के0जी0बी0वी0 / 1790 / 2023–24 दिनांक 12.05.2023 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय की अनुमति उपरान्त जनपद फर्रूखाबाद में संचालित 05 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में नितान्त अस्थायी रूप से सृजित संविदा आधारित शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिकों की नियुक्ति हेतु इच्छुक, अर्ह योग्य महिला अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा निकट पुलिस लाइन फतेहगढ़, फर्रूखाबाद में निर्धारित प्रारुप पर दिनांक 21.06.2023 की सायं 05:00 बजे तक निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। रिक्त पदो का विवरण, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं दिशा निर्देश https://farrukhabad.nic.in पर उपलब्ध है।

रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	पदनाम	शैक्षिक योग्यता	मानदेय प्रतिमाह	आयु सीमा 01.04.2023 को	वर्गवार रिक्त पदों का विवरण			
					अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	योग
1	पूर्ण कालिक शिक्षिका (अंग्रेजी)	अंग्रेजी विषय से स्नातक उपाधि तथा एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण।	22000 / –	25 – 45 वर्ष	1	0	0	1
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका (हिन्दी)	हिन्दी एवं संस्कृत विषय के साथ स्नातक उपाधि तथा एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 / समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण।	22000 / –	25 – 45 वर्ष	2	0	0	2
3	पूर्ण कालिक शिक्षिका (सामाजिक विषय)	समाजिक विषय (भूगोल इतिहास एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 परीक्षा उत्तीर्ण।	22000 / –	25 – 45 वर्ष	1	0	0	1
4	अंशकालिक शिक्षिका (शारीरिक शिक्षिका)	बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0। टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं है।	9800 / –	25 – 45 वर्ष	0	0	1	1
5	लेखाकार	स्नातक वणिज्य एवं एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिये। डी0ओ0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से 'ओ' लेवल या समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।	11000 / –	25 – 45 वर्ष	1	0	1	2
6	सहा0 रसोइया	साक्षात्कार के आधार पर कक्षा 08 उत्तीर्ण। (शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो)	5175 / –	25 – 45 वर्ष	1	0	1	2
7	चपरासी	कक्षा 08 उत्तीर्ण। साक्षात्कार के आधार पर (शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो)	5750 / –	25 – 45 वर्ष	0	1	0	1
8	चौकीदार	कक्षा 08 उत्तीर्ण। साक्षात्कार के आधार पर (शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित न हो)	5750 / –	25 – 45 वर्ष	1	0	0	1

सामान्य निर्देश–

1. आवेदन पत्र साफ एवं सुन्दर अक्षरों में साफ हस्तलिखित / टंकित ही स्वीकार्य होगा जिस पर अभ्यर्थी का पूर्ण बायोडाटा अंकित होना अनिवार्य है अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किये गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

2. पूर्णकालिक शिक्षिका/अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। लेखाकार के पद हेतु एम०एस० आफिस पर कार्य करने का ज्ञान अनिवार्य होगा।

3. सहायक रसोईया, चपरासी एवं चौकीदार के पदों पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होने सम्बन्धी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. सभी पदो पर मानदेय राज्य परियोजना के समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार देय होगा।

5. आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवदेन पत्र/अंकित होना आवश्यक है अन्यथा आवदेन निरस्त कर दिया जाएगा।

6. आवेदन पत्र के साथ अंक-पत्रों, प्रमाण-पत्रों (शैक्षिक एवं प्रशिक्षण) चरित्र प्रमाण-पत्र जन्मतिथि प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण-पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की स्वप्रमाणित प्रतियां सलग्न किये जाएँ। साक्षात्कार/काउन्सिलिंग के समय समस्त उपरोक्त सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पत्राचार का पता लिखा तीन लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर रू0 40 का डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

8. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा।

9. आयु 01 अप्रैल 2023 को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष से अधिक न हो। राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार आरक्षण देय होगा।

10. किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक/चारित्रिक अधमता के अपराध के लिए दोषसिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिये अर्ह नहीं होगें यदि चयनोपरान्त उक्त तथ्य प्रकाश में आता है तो बिना किसी नोटिस के संविदा समाप्ति कर दी. जायेगी।

11. अभ्यर्थियों को काउन्सिलिंग/साक्षात्कार के लिए आने पर कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

12. सभी पदों पर महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगे।

13.. के०जी०बी०वी० के ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गयीं हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर नवीन चयन में आवेदन करने पर के०जी०बी०वी० में की गयी सेवा अवधि के प्रत्येक सम्पूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिये 2 प्रतिशत अतिरिक्त भारांक दिया जायेगा, किन्तु अधिकतम भारांक 30 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जायेगा।

14. के०जी०बी०वी० के ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गयीं हैं उन शिक्षिकाओं द्वारा के0जी0बी0वी0 में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हे चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या-के0जी0बी0वी0/3-2/1916/2013-14, दिनांक 29.07.2013 के पूर्व कार्यरत शिक्षिकाओं के लिए टी0ई0टी0 की अर्हता अनिवार्य नहीं होगी।

15. के०जी०बी०वी० के ऐसी शिक्षिका जो शैक्षिक सत्र 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित हो गयीं हैं उन शिक्षिकाओं द्वारा के0जी0बी0वी0 में रिक्तियों के सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हे चयन हेतु आयु सीमा में के0जी0बी0वी0 में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल्य छूट प्रदान की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित शिक्षिका की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो।

16. उक्त पद पर चयन शैक्षिक सत्र 2023-24 में 11 माह 29 दिन के लिए होगा, कार्य एवं व्यवहार ठीक पाये जाने पर संविदा अवधि अगले शैक्षिक सत्र के लिये बढ़ाई जा सकती है। सेवायें संतोषजनक न होने पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सविदा किसी समय समाप्त की जा सकती है।

17. पदवार/विषयवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, जिसके सम्बन्ध में विषयवार एवं पदवार आरक्षण का निर्धारण चयन समिति के निर्णय के अधीन होगे।

18. प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा एक ही आवेदन पत्र में एक से अधिक पदों का उल्लेख करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

19. उपरोक्त विज्ञप्ति को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार समिति के पास होगा। इस हेतु कोई दावा/वाद मान्य नहीं होगा तथा विज्ञप्ति लिपिकीय त्रुटि के संधान रहेगी।

20. उपरोक्त समस्त चयन माननीय उच्च न्यायालय/माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिकाओं में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन होगा।

21. चयन के उपरान्त अभ्यर्थी को रू 100/- के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि माननीय उच्च न्यायालय /माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिकाओं मे मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश उसे मान्य होगा तथा उसके द्वारा पद से हटाये जाने पर कोई दावा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

22.आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जायेगा।

23.उपरोक्त समस्त चयन माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-13553/2022 राज्य परियोजना निदेशक व अन्य बनाम सरोज मौर्या व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी।

(नागेन्द्र सिंह)
जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)
एस0एस0ए0, फर्रूखाबाद।

06/06/2023
(लाल जी यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रूखाबाद।

पृ0सं0/एस0एस0ए0/क0गॉ0/ /2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय फर्रूखाबाद।
02. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, फर्रूखाबाद।
03. उपशिक्षा निदेशक/प्राचार्य डायट फर्रूखाबाद।
04. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, फर्रूखाबाद को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न विज्ञप्ति को अपने जनपद की बेवसाइट https://farrukhabad.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
05. संम्पादक दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम आकार एवं सरकारी दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें, साथ ही बिल प्रकाशित विज्ञापन की प्रति सहित प्रस्तुत करें जिससे कि भुगतान की कार्यवाही की जा सकें।
06. कार्यालय पत्रावली।

जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)
एस0एस0ए0, फर्रूखाबाद।

06/06/2023
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फर्रूखाबाद।

आवेदन पत्र का प्रारूप सत्र 2023–24

कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, जनपद–फर्रूखाबाद।

(आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ–साफ भरा जाए, कटिंग एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी।)

01. विज्ञापन संख्या...

02. आवेदित पद का नाम ....

03. विषय का नाम...

04. अभ्यर्थी का नाम..

05. पिता का नाम..

06. माता का नाम..

07. पति का नाम...

08. जन्मतिथि. (शैक्षिक अभिलेखानुसार) (अंको मे)........................ (शब्दों में)......................

09. 01 अप्रैल, 2021 को आयु– वर्ष...................माह.....................दिन....................

10. आधार संख्या...

11. पैन कार्ड संख्या..

12. वर्ग (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु0जाति)..............................(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. स्थाई पता..

....

14. पत्र व्यवहार का पता..

....

15. मोबाईल नम्बर..

16. शैक्षिक योग्यता–

अभ्यर्थी अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाये।

क्र0 स0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	कक्षा–08						
2	हाईस्कूल						
3	इण्टर						
4	स्नातक						
5	बी0एड0/एल0टी0/अन्य						
6	टी0ई0टी0 उच्च स्तर						
7	अन्य योग्यतायें						
		योग					

17. कस्तूरबा गांधी आवसीय बालिका विद्यालय में शिक्षण का अनुभव (प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

क्र0सं0	के0जी0बी0वी0 का नाम	प्रथम संविदा तिथि	अंतिम संविदा तिथि	शिक्षण कार्य का अनुभव		
				दिन	माह	वर्ष

घोषणा

मैं ....पुत्र/पुत्री /पत्नी ....शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि प्रारूप में दिये गये समस्त विवरण सत्य है। कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। यदि कोई विवरण एवं तथ्य असत्य/गलत पाया जाता है तो सम्बन्धी प्राधिकारी को अधिकार होगा कि मेरी नियुक्ति न केवल निरस्त कर दे, बल्कि मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी करें, उसके लिए मै स्वयं उत्तरदायी होऊँगी।

दिनांक– हस्ताक्षर अभ्यर्थी–

स्थान– अभ्यर्थी का पूरा नाम–

....

कार्यालय प्रयोग हेतु

जॉचकर्ता का नाम..

टिप्पणी

जॉचकर्ता के हस्ताक्षर मोहर सहित